



प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महराजगंज-दिनांक मई 28, 2022

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 230 वाहनों का चालान किया गया तथा 07 वाहनों से 6500/- का समन शुल्क वसूल किया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल-44 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त राधेश्याम पुत्र खदेरु 2. प्रभावती पत्नी खदेरु नि0 गिरहिया थाना निचलौल जनपद महराजगंज के कब्जे से 60 पॉउच देशी शराब व 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद कर थाना स्थानीय मु0अ0सं0 199/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में व रामसुभग पुत्र बलराम नि0 बढैपुरवां थाना निचलौल जनपद महराजगंज के कब्जे से 70 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 201/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना कोठीभार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त राजमंगल पुत्र चन्नर नि0 कामता थाना कोठीभार जनपद महराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 102/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना चौक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त कोमल पुत्र दुलारे यादव नि0 27 नर्सरी थाना चौक जनपद महराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 80/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में व अभियुक्त इसरावती पत्नी राजेन्द्र 27 नर्सरी थाना चौक जनपद महराजगंज के कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 81/22 धारा 60(1) अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त जंगल उर्फ दुःखहरन पुत्र पारस नि0 सलामतगढ़ थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 204/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त रामकेश पुत्र गंगाराम गौड़ नि0 बड़गो थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से 15 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 75/22 धारा 60/63 आबकारी में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

गुण्डा एक्ट में की गयी कार्यवाही-

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त 1.रजनीश सिंह पुत्र भोला सिंह नि0 शास्त्री नगर वार्ड नं0 19 थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज 2. प्रिन्स चौरसिया पुत्र मुद्रिका नि0 चिउरहां थाना कोतवाली 3. संजय मध्देशिया पुत्र श्रीनिवास नि0 पन्तनगर वार्ड नं0 19 थाना कोतवाली 4. आशीष कुमार पुत्र राजेश हरिजन नि0 बैकुण्ठपुर वार्ड नं0 4 थाना कोतवाली 5. मिथिलेश सिंह पुत्र दीपचन्द नि0 रेहाव थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम में कार्यवाही की गयी ।

थाना श्यामदेउरवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त प्रदीप चौधरी उर्फ सत्यपाल पुत्र ऋषिकेश 2. बलिराम गुप्ता पुत्र त्रिवेणी नि0 पुरैना 3. रामअधीन पुत्र रामविलास नि0 मोहम्मदा थाना श्यामदेउरवां जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय मु0अ0सं0 निल/22 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त 1.राजू पुत्र रामचन्दर नि0 सोरहा टोला पिपरहना थाना बृजमनगंज 2. सुनील पुत्र विश्वनाथ नि0 सोरहा टोला पिपरहना थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

एनडीपीएस अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त मृत्युंजय उर्फ रंजन पुत्र श्रीकृष्ण शास्त्री नि0 मोहनापुर ढाला थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से 1500 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 109/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

जुआ अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना बरगदवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त 1. सूरज पुत्र रामबहाल 2. गोविन्द पुत्र मंगल 3. अनिल पुत्र रामसुझ 4.राकेश पुत्र मोहन नि0गण बरगदवां थाना बरगदवां जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 47/22 धारा 13 जुआ अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-12 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

जनपद में 27/28.05.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 56 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।